

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

यातायात विभाग, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(78)/2016/297

दिनांक 6-7-2016

कार्यालय आदेश

शासन सचिव, परिवहन विभाग, पंजाब सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2/46/90/4टी.2 दिनांक 28.6.16 से पंजाब राज्य में संचालित मंजिली वाहनों के यात्री किराया दरों में परिवर्तन/संशोधन किया गया है। किराया परिवर्तन के लिये जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। यह किराया दरें दिनांक 01.07.2016 से लागू की गई है।

आप द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-4/मुख्या/याता/लेखा/93/220 दिनांक 19.05.1993 की अनुपालना में किराया दरों में वृद्धि के अनुरूप किराया वसूली प्रारम्भ कर दी गई होगी।

अतः सभी सम्बन्धितों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि संलग्न अधिसूचना के अनुसार पंजाब राज्य में संचालित निगम वाहनों की किराया तालिका का पुनः निरीक्षण करें तथा संशोधित दरानुसार यात्री किराया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्तीय सलाहाकार की सहमति तथा माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न अधिसूचना की प्रति (पृष्ठ भाग पर)

(सोहन लाल धानक)

कार्यकारी निदेशक(यातायात)

दिनांक 6-7-16

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(78)/2016/297

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक महोदय रा.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष..... रा.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक रा. प. निगम मुख्यालय जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक (निरीक्षण/यातायात) रा.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) रा. प. निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निगम वेब साईट पर भी इसको उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसंपर्क) रा. प. निगम मुख्यालय जयपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी (टिकिट/स्टोर/अंकेक्षण)राजस्थान जयपुर।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त/याता) राजस्थान परिवहन निगम
9. आदेश पत्रावली।

(नरेन्द्र चौधरी)

कार्यकारी प्रबन्धक
(यातायात/संस्था)

GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF TRANSPORT
(TRANSPORT-II BRANCH)

NOTIFICATION
28 June
The 28/6/2016

Handwritten notes and signatures:
 ✓
 28/6/16
 28/6
 22/

No. 2/46/90-4T2/7883a/ In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act, No. 59 of 1988), and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of the Government of Punjab, Department of Transport, Notification No. 2/46/90-4T2/724649/1 dated 31.03.2016, the Governor of Punjab hereby issues to the State Transport Authority, Punjab the following directions regarding fixation of rate of fare and freights for stage carriages in the State of Punjab, namely:-

Sr. No.	Kind of vehicle	Fare per passenger per km (in paise)	Remarks
1.	Ordinary Buses	98.00	
2.	Ordinary H.V.AC Buses	117.60	20% excess of the ordinary bus fare
3.	Integral Coach	176.40	80% excess of the ordinary bus fare
4.	Super Integral Coach	196.00	100% excess of the ordinary bus fare

1. Provided that in case where the charging of fare involves fraction of Rs. 2.50 and above it may be rounded off to Rs. 5.00 and the fraction of less than 2.50 rupees may be ignored. Minimum fare shall be charged at the rate of ten rupees.
2. This notification will be come into force from 1st July, 2016.

Chandigarh,
Dated the 28-6-16

Anurag Verma
Secretary to Govt. of Punjab
Department of Transport

Endst. No. 2/46/90/-4T2/

Dated, Chandigarh, the

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Punjab, Chandigarh for publication in the Punjab Government Gazette (ordinary). Fifty copies of this notification may be sent to this Department for official use.

Secretary

Handwritten notes:
 A Au (Tr.)
 5.7.16